



सीएसआईआर-उत्तर पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
[वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद]
जोरहाट-785006, असम



विज्ञापन क्रमांक 4/2025-REC

“सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है”

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 17.05.2025 सुबह 09:30 बजे IST
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 06.06.2025 रात 11:59 बजे IST

सीएसआईआर-उत्तर पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, जो भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग का एक स्वायत्त निकाय है। यह भारत के लोगों के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ के लिए विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त प्रकृति के बहुविषयक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में शामिल है। संस्थान विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक और अन्य उपकरणों, प्रयोगशाला और पायलट सुविधाओं से सुसज्जित है।

सीएसआईआर-एनईआईएसटी, तकनीशियन स्टाफ के निम्नलिखित पदों के लिए उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड और सिद्ध व्यावसायिक कौशल और उपलब्धियों और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में नवीन तकनीकी सहायता के लिए उत्साह रखने वाले उत्साही, युवा, गतिशील और प्रतिभाशाली पेशेवरों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

पद का नाम	पदों की संख्या एवं आरक्षण स्थिति	भुगतान मैट्रिक्स स्तर	कुल परिलब्धियाँ** (लगभग)	ऊपरी आयु सीमा*** (ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक)
तकनीशियन(1)/ग्रुप-II(1)	07 [UR-03, SC-01, ST-02, EWS-01,]*	लेवल 2	वेतन स्तर- 2 (रु. 19,900/-63,200/-) 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के अनुसार	28 वर्ष

07 पदों में से 02 पद PwBD (D, HH और LV) के लिए आरक्षित हैं।

**** स्वीकार्य भत्ते सहित न्यूनतम वेतनमान पर कुल अनुमानित परिलब्धियाँ।**

***** जहाँ भी लागू हो, आयु में छूट सीएसआईआर/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएगी।**

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर: UR - अनारक्षित, EWS - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, SC - अनुसूचित जाति, ST - अनुसूचित जनजाति, PwBD - बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (HH - सुनने में कठिनाई, D - बधिर, LV- कम दृष्टि)।

I. पदों का विवरण:-

पद का नाम, पद कोड और श्रेणी	पदों की संख्या एवं आरक्षण	आवश्यक योग्यताएं एवं अनुभव	कार्य विशिष्टता
तकनीशियन (1) [TE- 01]	03 पद [EWS-01, SC-01, UR-01]	विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और प्लंबिंग के ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। या विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ तथा प्लंबिंग के ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में प्लंबिंग के ट्रेड में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	प्रयोगशाला और कॉलोनी में दैनिक जल आपूर्ति। इसमें गहरे ट्यूबवेल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, जल दबाव फिल्टर, जल शोधन रासायनिक डोजेज़ आदि का संचालन और उनका दैनिक रखरखाव शामिल है।
तकनीशियन (1) [TE-02]	01 पद [UR]	विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष तथा इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय	दैनिक विद्युत रखरखाव कार्य, टीम कार्य क्षमता, डीजी सेट, ट्रांसफार्मर, यूजी केबल बिछाने के कार्य, वितरण पैनल, एचटी ब्रेकर आदि के रखरखाव और संचालन सहित पावर हाउस रखरखाव।

		में इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	
तकनीशियन (1) [TE-03]	01 पद [ST]	विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और वेल्डर के ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। अथवा विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और वेल्डर के ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अप्रेंटिस ट्रेनी के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में वेल्डर के ट्रेड में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	प्रयोगशाला एवं कॉलोनी में वेल्डिंग कार्य से संबंधित दैनिक रखरखाव।
तकनीशियन (1) [TE-04]	01 पद [ST]	विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और मेसिन/निर्माण एवं लकड़ी कार्य क्षेत्र में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य व्यापार प्रमाण पत्र। अथवा विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ तथा राजमिस्त्री/निर्माण एवं लकड़ी कार्य क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में राजमिस्त्री/निर्माण एवं लकड़ी कार्य क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	प्रयोगशाला एवं कॉलोनी में चिनाई कार्य से संबंधित दैनिक रखरखाव।

तकनीशियन (1) [TE-05]	01 पद [UR]	विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक के ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य ट्रेड प्रमाण पत्र। अथवा विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ तथा कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक के ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षु प्रशिक्षु के रूप में 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव। अथवा विज्ञान विषयों के साथ एसएससी/10वीं कक्षा या समकक्ष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ और भारत सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक के ट्रेड में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	डेटा प्रविष्टि, परियोजना निगरानी में सहायता, प्रबंधन, परियोजना प्रोफाइल रखना, रिपोर्ट तैयार करना, डेटा पोर्टल प्रबंधन, डिजाइनिंग, मानव संसाधन संबंधी गतिविधियाँ, जनसंपर्क आदि।
-------------------------------	-------------------	--	--

नोट: निदेशक, सीएसआईआर-एनईआईएसटी को प्रशासनिक कारणों से किसी भी स्तर पर उपर्युक्त किसी भी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार है।

2. चयन का तरीका:-

- चयन प्रक्रिया में दो चरण होते हैं, अर्थात् चरण-I और चरण-II।
- चरण-I में, विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित/शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
- स्क्रीनिंग समिति ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी।
- ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को दूसरे चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जहाँ उम्मीदवार को पेपर-I, पेपर-II, पेपर-III से युक्त प्रतियोगी लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा।
- पेपर-II और पेपर-III का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा, जिन्होंने पेपर-I में न्यूनतम सीमा अंक (चयन समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले) प्राप्त किए हैं।
- अंतिम मेरिट सूची पेपर-II और पेपर-III में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- बराबरी के मामलों का समाधान:** ऐसे मामलों का समाधान जिसमें दो या दो से अधिक उम्मीदवारों ने समान कुल अंक प्राप्त किए हैं, टाई को सीएसआईआर पत्र क्रमांक 5-1 (211) / 2014-पीडी दिनांक 30.05.2023 के अनुसार हल किया जाएगा।

चरण I: ट्रेड टेस्ट

विधिवत गठित चयन समिति, पद के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए प्रासंगिक विषयों में ट्रेड टेस्ट और प्रतियोगी लिखित परीक्षा आयोजित करेगी।

चरण II: प्रतियोगी लिखित परीक्षा

परीक्षा का तरीका	ओएमआर आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय परीक्षा
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे।
परीक्षा का मानक	एसएससी+आईटीआई/बारहवों कक्षा
प्रश्नों की कुल संख्या	150
कुल आबंटित समय	2 घंटे 30 मिनट

पेपर – I (आबंटित समय – 1 घंटा)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
मानसिक योग्यता परीक्षण*	50	100 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक).	इस पेपर में कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा।

* मानसिक योग्यता परीक्षण जिसमें सामान्य बुद्धि, मात्रात्मक योग्यता, तर्क, समस्या समाधान, परिस्थितिजन्य निर्णय आदि शामिल हैं।

पेपर – II (आबंटित समय – 30 मिनट)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
सामान्य ज्ञान	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक).	एक नकारात्मक अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए.
अंग्रेजी भाषा	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक).	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक।

पेपर – III (आबंटित समय – 1 घंटा)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
संबंधित विषय*	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक).	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक.

*** संबंधित विषय पद की विज्ञापित योग्यता पर आधारित है।**

3. सामान्य जानकारी एवं शर्तें:-

1. नियम एवं शर्तें:-

क. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

ख. सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता/अनुभव और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। उन्हें विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने से पहले इस संबंध में खुद को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है।

ग. निर्धारित आवश्यक योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल उनके होने से ही उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट/प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता है। विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी।

घ. निर्धारित योग्यताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त की जानी चाहिए। अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

ड. अनिवार्य योग्यताओं में समकक्ष खंड के संबंध में, यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो अभ्यर्थी को इस संबंध में आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उस प्राधिकारी (संख्या और तारीख के साथ) का उल्लेख हो जिसके तहत उसे ऐसा माना गया है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। योग्यता(ओं) की समकक्षता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-एनईआईएसटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

च. ट्रेड टेस्ट/प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय अभ्यर्थी द्वारा अंशकालिक आधार, दैनिक वेतन, विजिटिंग/गोस्ट फैकल्टी के रूप में दिए गए अनुभव की अवधि को नहीं गिना जाएगा।

छ. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी है।

ज. किसी विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां कहीं निर्धारित हो, उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के बाद गिनी जाएगी।

झ. भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (PwBD / दिव्यांगजन) को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयु सीमा में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना लागू होगी कि पद उनके लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद विकलांगता की प्रासंगिक श्रेणी के लिए उपयुक्त पहचाना गया हो।

ण. आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से पाई गई कोई भी विसंगति उम्मीदवार को ट्रेड टेस्ट / प्रतियोगी लिखित परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य बना देगी।

ट. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका और ट्रेड टेस्ट / प्रतियोगी लिखित परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी मामलों में निदेशक, सीएसआईआर-एनईआईएसटी, जोरहाट / सीएसआईआर का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

ठ. किसी भी रूप में प्रचार करना और/या किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

ड. निदेशक, सीएसआईआर-एनईआईएसटी को इस विज्ञापन में नियम व शर्तों को संशोधित करने, हटाने और जोड़ने का अधिकार है।

ढ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन उम्मीदवारों को संबंधित श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भारत सरकार (जीओआई) के निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ण. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, अपलोड करना होगा। अन्यथा उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

त. सभी उम्मीदवार जिन्हें ट्रेड टेस्ट/प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें निर्धारित तिथि को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में मार्कशीट, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि जैसे प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, जब ट्रेड टेस्ट/प्रतियोगी लिखित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं

थ. जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें ट्रेड टेस्ट/प्रतियोगी लिखित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय इस संस्थान द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

द. अभ्यर्थी यह भी ध्यान रखें कि उपर्युक्त के संबंध में उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती।

ध. उपरोक्त पदों के लिए भर्ती समय-समय पर संशोधित "वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की भर्ती के लिए सीएसआईआर सेवा नियम, 1994" द्वारा शासित है। इसलिए यहां निर्धारित नहीं किए गए अन्य सभी नियम और शर्तें उक्त भर्ती नियमों के अनुसार लागू होंगी।

2. आयु एवं अन्य छूट:-

क. ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा 28 वर्ष (अनारक्षित उम्मीदवार) से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक पद के लिए ऊपरी आयु सीमा, योग्यता और/या अनुभव निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् 06.06.2025 होगी।

ख. भारत सरकार/सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और आदेशों के अनुसार सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों, सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट है।

ग. लागू सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के लिए 03 वर्ष तक की छूट है, केवल उन मामलों में जहां पद संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित भारत सरकार प्रारूप में प्रासंगिक नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

घ. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी)/दिव्यांगजन श्रेणी के लिए आयु में छूट: भारत सरकार के आदेशों के अनुसार निम्नलिखित विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को 10 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 15 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए उनके लिए आरक्षित पदों के संबंध में 13 वर्ष):

i) कम दृष्टि: "कम दृष्टि" से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जिसमें व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्:-

क) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम हो या 3/60 तक हो या बेहतर संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में 10/200 (स्नेलन) तक हो; या

ख) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम या 10 डिग्री तक हो।

ii) बधिर और कम सुनने वाले;

iii) मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित चलने-फिरने में अक्षमता;

iv) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और मानसिक बीमारी;

v) खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु-विकलांगता जिसमें बधिर-अंधापन भी शामिल है

इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने दावों के समर्थन में निर्धारित प्रो-फॉर्म में एक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि उनकी शारीरिक विकलांगता की डिग्री 40% या उससे अधिक है। किसी भी मामले में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा योग्यता के मानकों के अनुसार उनके चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगी।

ड. विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं को आवेदन की अंतिम तिथि तक 35 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष) की आयु तक आयु में छूट दी जाएगी। इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:

i) विधवा के मामले में, उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और शपथ पत्र कि उसने तब से पुनर्विवाह नहीं किया है।

ii) तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक अलगाव के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में शपथ पत्र कि उन्होंने तब से पुनर्विवाह नहीं किया है।

3. परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:-

(i) इन पदों पर सामान्य भत्ते यानी महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए) आदि मिलते हैं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य हैं और सीएसआईआर पर लागू हैं। परिषद के कर्मचारी भी उपलब्धता के आधार पर सीएसआईआर आवंटन नियमों के अनुसार अपने हकदार प्रकार के आवास के लिए पात्र हैं, जिस स्थिति में एचआरए स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) प्रत्येक श्रेणी के पद के सामने दर्शाए गए परिलब्धियों के अलावा, परिषद के कर्मचारियों के लिए लागू चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत आदि जैसे लाभ।

(iii) सभी नए प्रवेशकों को नए प्रवेशकों के लिए परिभाषित योगदान के आधार पर "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" द्वारा शासित किया जाएगा, जैसा कि सीएसआईआर ने अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया है। हालाँकि, अन्य सरकारी विभागों / स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चुने गए व्यक्ति भारत सरकार के नियमों के अनुसार, पेंशन योजना मौजूदा पेंशन योजना यानी सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित होती रहेगी।

4. आवेदन कैसे करें:-

क. पात्र उम्मीदवारों को सीएसआईआर-एनईआईएसटी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं होगा।

ख. ऑनलाइन आवेदन सीएसआईआर-एनईआईएसटी वेबसाइट <https://www.neist.res.in> पर उपलब्ध होगा [17.05.2025 को सुबह 09:30 बजे से 06.06.2025 को रात 11:59 बजे तक खुलेगा।

ग. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देशों (सीएसआईआर-एनईआईएसटी भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध) को ध्यान से पढ़ें।

घ. इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन समय पर जमा कर दें।

ड. एक से अधिक पोस्ट कोड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में पद का पोस्ट कोड दर्शाते हुए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक आवेदन के साथ अलग-अलग एसबी कलेक्ट भुगतान रसीद संलग्न होनी चाहिए।

च. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवारों को केवल स्टेट बैंक कलेक्ट के माध्यम से 500/- रुपये (केवल पाँच सौ रुपये) का गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा। शुल्क के सफल भुगतान के बाद उत्पन्न लेनदेन क्रमांक/यूटीआर क्रमांक का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया जाना आवश्यक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई-रसीद (एसबी कलेक्ट रसीद) डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संचार के लिए सुरक्षित रखें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिला/सीएसआईआर कर्मचारी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।

छ. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 06.06.2025 है।

ज. विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा CGPA/SGPA/OGPA ग्रेड आदि प्रदान करने की स्थिति में, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अनुसार फार्मूले के आधार पर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उचित स्थान पर प्राप्त प्रतिशत का उल्लेख करें।

झ. ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरी तरह से भरने के बाद अभ्यर्थी को भविष्य के संचार के लिए ऑनलाइन तैयार किए गए भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लेना चाहिए। आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ण. एक बार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी कारण से वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

त. सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों, सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान एजेंसियों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के आवेदनों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी **अनापत्ति प्रमाण पत्र और सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र** ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया हो। इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों को, जब ट्रेड टेस्ट/प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो उन्हें अपने नियोक्ता से **“अनापत्ति प्रमाण पत्र”** प्रस्तुत करना होगा, जिसके न होने पर उन्हें ट्रेड टेस्ट/प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

थ. अभ्यर्थियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कारण से अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर सीएसआईआर-एनईआईएसटी, जोरहाट द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

द. अधूरे ऑनलाइन आवेदन (अर्थात फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अपलोड किए बिना, आवेदन शुल्क का भुगतान न करना (जहां भी लागू हो), लागू प्रमाण पत्र/प्रशंसापत्र अपलोड किए बिना आदि) पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

ध. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी क्षेत्रों को सत्यापित करना आवश्यक है कि आवेदन जमा करने से पहले हर पहलू से पूर्ण और सही है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन के संबंधित क्षेत्रों में फोटोग्राफ और हस्ताक्षर संलग्न हैं।

न. इस विज्ञापन के बारे में कोई भी अन्य जानकारी जैसे ट्रेड टेस्ट/प्रतियोगी लिखित परीक्षा की तिथि, समय और स्थान, कोई परिशिष्ट/शुद्धिपत्र या पदों की संख्या में कोई बदलाव/पदों का रद्द होना आदि केवल सीएसआईआर-एनईआईएसटी वेबसाइट

<https://www.neist.res.in> पर उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को नियमित रूप से सीएसआईआर-एनईआईएसटी वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

प. कोई अंतरिम जांच या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. ऑनलाइन आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों को पीडीएफ के रूप में अपलोड करना आवश्यक है (प्रत्येक दस्तावेज 1 एमबी से अधिक नहीं):-

- (i) एसएससी/10वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट (जन्मतिथि दर्शाते हुए)
- (ii) आईटीआई प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय/राज्य व्यापार प्रमाण पत्र और मार्कशीट/अपरेटिस प्रमाण पत्र, जहां भी लागू हो।
- (iii) इंटरमीडिएट/10+2/डिप्लोमा प्रमाण पत्र और मार्कशीट
- (iv) स्नातक प्रमाण पत्र और मार्कशीट, यदि कोई हो
- (v) भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में विशिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नवीनतम जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र आदि, जहां भी लागू हो।
- (vi) अनुभव प्रमाण पत्र (एस), यदि कोई हो।
- (vii) सतर्कता मंजूरी के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहां भी लागू हो)
- (viii) दिव्यांग व्यक्तियों/आयु में छूट आदि चाहने वाली महिलाओं से संबंधित प्रमाण पत्र (जहां भी लागू हो) निर्धारित प्रारूप में।
- (ix) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जिसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत भारत में जन्मे बच्चे के जन्म को पंजीकृत करने का अधिकार दिया गया है (केवल तभी जब माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न किया गया हो)
- (x) कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र/दस्तावेज

Sd/-

प्रशासनिक अधिकारी/Administrative Officer

सीएसआईआर-उत्तर पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट

संलग्नकों की सूची

क्रम संख्या	संलग्नक क्रमांक	संलग्नको का विवरण	पेज क्रमांक
1	संलग्नक - I	भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप	12-13
2	संलग्नक - II	भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप	14
3	संलग्नक - III	अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)	15
4	संलग्नक - IV	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।	16
5	संलग्नक - V	फॉर्म - V विकलांगता प्रमाण पत्र	17
6	संलग्नक - VI	फॉर्म - VI विकलांगता प्रमाण पत्र	18-19
7	संलग्नक - VII	फॉर्म - VII विकलांगता प्रमाण पत्र	20-21
8	संलग्नक - VIII	आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।	22
9	संलग्नक - IX	आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात् 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।	23
10	संलग्नक - X	स्वयं के लेखक का उपयोग करने के लिए स्वघोषणा पत्र	24
11	संलग्नक - XI	परीक्षार्थी की लिखने की शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र	25
12	संलग्नक - XII	सेवारत/सेवानिवृत्त/मुक्त सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आयु में छूट प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र	26

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*
पुत्र/पुत्री* गांव/शहर* जिला/संभाग* राज्य/संघ
शासित प्रदेश* के जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986; अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा संशोधित।]

- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- @ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित
- @ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- @ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- @ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- @ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
- @ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007

%2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं,

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती*.....पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी*.....के गांव/कस्बा/क्षेत्र**.....जिला/मंडल*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....के जो उस जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, को दिनांक.....को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी*.....और/या* उनका/उनकी* फैमिली सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* केजिला/मंडल* के गांव/कस्बे*.....में निवास करती है।

हस्ताक्षर.....
**पद का नाम.....।

(कार्यालय की मुहर के साथ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
स्थान:.....
तारीख:.....

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू न हों।
@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।
% जो पैराग्राफ़ लागू न हो उसे हटा दें

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

- जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।
- उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है
- प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

टिप्पणी:

तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री _____ गांव/कस्बा _____ जिला/मंडल में _____ समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प क्रमांक _____ दिनांक _____ * के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और/या उनका परिवार सामान्यतः _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के _____ जिले/मंडल में रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं। अधिसूचित कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36012/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004-Estt.(Res) दिनांक 9 मार्च, 2004, कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004-Estt.(Res) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/1/2013-Estt.(Res) दिनांक 27 मई, 2013**

हस्ताक्षर _____
पदनाम _____ \$

दिनांक :

मुहर :

* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग बताई गई हो।

** समय-समय पर संशोधित।

\$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों के समान होगी।

नोट:- यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणापत्र का प्रारूप
(सामुदायिक प्रमाणपत्र के अतिरिक्त)

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी
गांव/कस्बा/शहर _____ जिला _____ राज्य _____
एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं _____ समुदाय से हूं, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के
कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36102/22/93-Estt.(SCT) दिनांक 8-9-1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में
आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है
कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-1993, कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004-Estt.(Res) दिनांक
9 मार्च, 2004 और कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004-Estt.(Res) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और समय-
समय पर संशोधित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।
मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे माता-पिता/अभिभावक की क्रीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक आय की शर्त
आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित सीमा के भीतर है।

हस्ताक्षर _____

पूरा नाम _____

पता _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाणपत्र क्रमांक

दिनांक:

वर्ष के लिए वैध.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी के स्थायी निवासी हैं। गांव/गली, डाकघर, क्षेत्र पिन कोड जिनका फोटोग्राफ नीचे प्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि उनके/उनकी परिवार* की सकल वार्षिक आय** वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख रुपये (मात्र आठ लाख रुपये) से कम है। उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति*** नहीं है:

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम.....

पद का नाम.....

आवेदक का
नवीनतम
पासपोर्ट आकार
का स्व-सत्यापित
फोटो

* नोट 1 : इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

**नोट 2: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

***नोट 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

फॉर्म -V

विकलांगता का प्रमाण पत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनेपन और अंधेपन के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का सत्यापित
फोटोग्राफ (केवल
चेहरा दिखाते हुए)

प्रमाणपत्र क्रमांक _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
_____ की जन्म तिथि _____ (दिन/मास/वर्ष) आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला
_____ पंजीकरण क्रमांक _____ मकान क्रमांक _____
_____ वार्ड/गांव/गली _____ डाकघर _____
_____ जिला _____ राज्य _____ का स्थाई निवासी

जिसकी तस्वीर ऊपर चिपकाई गई है, और मैं संतुष्ट हूँ कि

A. वह निम्न में से किसी एक का मामला है:

- चलने-फिरने में अक्षमता
- बौनापन
- अंधापन

(कृपया लागू होने पर निशान लगाएँ)

B. उसके मामले में निदान है _____

C. दिशानिर्देशों के अनुसार उसके _____ (शरीर का हिस्सा) के संबंध में _____ % (आंकड़ों में)
_____ प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी लोकोमोटर विकलांगता/बौनापन/अंधापन है (दिशानिर्देशों की संख्या और
जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जानी चाहिए)।

1. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं: -

दस्तावेज का नाम	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान जिसके पक्ष में विकलांगता
प्रमाण पत्र जारी किया गया है

फॉर्म-VI
विकलांगता का प्रमाणपत्र
(एकाधिक विकलांगता के मामले में)
[नियम 18(1) देखें]
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का
हाल ही में लिया गया
पासपोर्ट आकार का
सत्यापित फोटोग्राफ
(केवल चेहरा
दिखाते हुए)

प्रमाणपत्र क्रमांक _____ दिनांक : _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पुत्र/पत्नी/पुत्री _____ श्री _____ जन्म तिथि (दिन/मास/वर्ष)

_____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला। पंजीकरण क्रमांक

_____ मकान क्रमांक _____ वार्ड/गांव/गली

_____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य का स्थायी निवासी,

जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:

A. वह एकाधिक विकलांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक दुर्बलता/विकलांगता की सीमा का मूल्यांकन नीचे दिए गए विकलांगताओं के लिए दिशा-निर्देश _____ (दिशा-निर्देशों की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट की जानी है) के अनुसार किया गया है, और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक विकलांगता के सामने दिखाया गया है:

क्र म सं ख्या	विकलांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक विकलांगता (% में)
1	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3	कुष्ठ रोग ठीक हो गया			
4	बोनापन			
5	सेरेब्रल पाल्सी			
6	एसिड अटैक पीड़ित			
7	कम दृष्टि	#		
8	अंधापन	#		
9	बहरापन	€		
10	सुनने में कठिनाई	€		
11	भाषण और भाषा विकलांगता			
12	बोधिक विकलांगता			
13	विशिष्ट सीखने की विकलांगता			
14	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			

15	मानसिक बीमारी			
16	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ			
17	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18	पार्किंसंस रोग			
19	हीमोफीलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

B. उपरोक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक विकलांगता (दिशानिर्देशों की संख्या और जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जानी है) निम्नानुसार है: आंकड़ों

में _____ प्रतिशत शब्दों

में _____ प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं है या

(ii) _____ वर्ष _____ महीनों के बाद अनुशंसित है, और इसलिए यह प्रमाण पत्र
_____ (दिन/महीना/वर्ष) तक वैध रहेगा

@ - उदाहरण के लिए बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

- उदाहरण के लिए एक आंख/दोनों/आंखें

€ - उदाहरण के लिए बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के
हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान जिसके पक्ष में
विकलांगता प्रमाण पत्र
जारी किया गया है

फॉर्म-VII

विकलांगता प्रमाण पत्र

(फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों में)
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)
[नियम 18(1) देखें]

हाल ही में पासपोर्ट
आकार में सत्यापित
फोटो (केवल चेहरा
दिखाते हुए) विकलांग
व्यक्ति का

प्रमाण पत्र क्रमांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
_____ जन्म तिथि (दिनांक/माह/वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला
_____ पंजीकरण क्रमांक _____ मकान क्रमांक _____ वार्ड/गांव/गली _____ डाकघर
जिला _____ राज्य _____ का स्थायी निवासी, जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, की सावधानीपूर्वक
जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वह _____ विकलांगता का मामला है, उसकी शारीरिक
हानि/विकलांगता के प्रतिशत की सीमा का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है (दिशानिर्देशों की क्रमांक
और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट की जानी है) और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक विकलांगता के सामने दिखाया गया
है:

क्रम संख्या	विकलांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक दुर्बलता/मानसिक विकलांगता(% में)
1.	लोकोमोटर विकलांगता			
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ रोग ठीक हो गया			
4.	बोनापन			
5.	सेरेब्रल पाल्सी			
6.	एसिड अटैक पीड़ित	#		
7.	कम दृष्टि	€		
8.	अंधापन	€		
9.	बहरापन			
10.	सुनने में कठिनाई			
11.	भाषण और भाषा विकलांगता			
12.	बोधिक विकलांगता			
13.	विशिष्ट सीखने की विकलांगता			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			

15.	मानसिक बीमारी			
16.	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थेलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(कृपया उन अक्षमताओं को काट दें जो लागू नहीं होती हैं).

2. उपरोक्त स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं है या

(ii) वर्ष महीने के बाद अनुशंसित है, और इसलिए यह प्रमाण पत्र (दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा

@ - उदाहरण के लिए बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

- उदाहरण के लिए एक आंख/दोनों/आंखें

€ - उदाहरण के लिए बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण
---------------------	-------------------	--

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम तथा मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है.

प्रतिहस्ताक्षरित
(यदि प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो सरकारी कर्मचारी (मुहर सहित) न हो, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकार के मुखिया के प्रतिहस्ताक्षर और मुहर)

नोट: यदि यह प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यह तभी वैध होगा जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर किया गया हो।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी 40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती _____ (उम्मीदवार का नाम, पुत्र/पुत्री _____, निवासी _____ (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य), आयु _____ वर्ष, _____ (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और यह बताने के लिए कि उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा आती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए लेखक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट किया जाए) का उपयोग करता है, जो अभ्यर्थी के लिए लेखक की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह _____ तक वैध होता है (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध होता है, जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है)

चिकित्सा प्राधिकारी का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर और नाम	हस्ताक्षर और नाम	हस्ताक्षर और नाम	हस्ताक्षर और नाम	हस्ताक्षर और नाम
ऑर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी/अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

स्थान -

दिनांक:

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।

मैं, _____, _____ (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) वाला
अभ्यर्थी हूँ, जो _____ (केंद्र का नाम) _____ जिले,
_____ (राज्य का नाम) में रोल नंबर _____ के साथ
_____ (परीक्षा का नाम) के लिए उपस्थित हो रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक
योग्यता _____ है।

मैं यह घोषित करता हूँ कि (लेखक का नाम) उपर्युक्त परीक्षा लेने के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता के लिए लेखक की सेवा उपलब्ध कराएगा।

मैं यह वचन देता हूँ कि उसकी योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है तथा मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद पर अपना अधिकार तथा उससे संबंधित दावे त्याग दूँगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी नाबालिग है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान -

दिनांक -

स्वयं के लेखक का उपयोग करने के लिए वचन पत्र

मैं, _____ (विकलांगता का नाम) अभ्यर्थी हूँ, जो जिला
 _____ (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) में
 _____ (केंद्र का नाम) पर रोल नंबर
 _____ के साथ
 _____ (परीक्षा का नाम) में उपस्थित हो रहा हूँ। मेरी योग्यता
 _____ है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि _____ (लेखक का नाम)
 उपरोक्त परीक्षा लेने के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता के लिए लेखक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा
 उपलब्ध कराएगा।

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता _____ है। यदि बाद में
 यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है
 और मेरी योग्यता से परे है तो मैं पद और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(विकलांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान -

दिनांक

परीक्षार्थी की लिखने की शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती _____ (विकलांग उम्मीदवार का नाम), जो _____ (विकलांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशत) वाला व्यक्ति है, _____ के पुत्र, पुत्री, _____ जो _____ (गांव/जिला/राज्य) का निवासी है, का परीक्षण किया है तथा यह उल्लेख किया है कि वह शारीरिक रूप से विकलांग है, जिससे उसकी विकलांगता के कारण उसके लेखन क्षमता में बाधा आती है।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

एक सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का नाम और पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

मुहर सहित

स्थान : _____

दिनांक : _____

नोट: प्रमाण पत्र संबंधित स्ट्रीम/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए (जैसे दृश्य हानि- नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर विकलांगता- आर्थोपेडिक विशेषज्ञ/पीएमआर)।

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आयु में छूट का लाभ उठाने वाले सेवारत/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि रैंक नाम..... जिसकी जन्म तिथि है, ने सेना/ नौसेना/वायु सेना में से तक सेवा की है।

उन्हें सैन्य सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है:

क) कार्य पूरा होने पर अन्यथा

- (i) बर्खास्तगी के माध्यम से, या
- (ii) कदाचार या अकुशलता के कारण छुट्टी के माध्यम से, या
- (iii) अपने स्वयं के अनुरोध पर, लेकिन अपनी पेंशन अर्जित किए बिना, या
- (iv) उसे ऐसी रिहाई तक रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया गया है

ख) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक विकलांगता के कारण।

ग) कम से कम पांच साल की सैन्य सेवा करने के बाद अशक्त होने पर

वह समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

स्थान -

दिनांक -

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम

** मुहर